

श्री,

श्री. राम कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

संवा. में,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2, सुप्रद्युम्न केंद्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

लखनऊ: दिनांक: 26/12/2001

शिक्षा-171 अनुभाग

विषय:- **श्री. राम नगर सरस्वती बालिका विद्यालय बल्लेश्वर आगरा को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहे का निदेश हुआ है कि श्री. रामनगर सरस्वती बालिका विद्यालय बल्लेश्वर आगरा को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अंगीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत संसाधनों का सम्य-सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चोंके लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न दक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र० मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 158] संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वर्ग मानने तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161] कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आकाशवाणी उ०मा० विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171] राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181] उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की वृक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

॥ राम कुमार ॥
विशेष सचिव ।

पृ० सं०- 9503111/15-7-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा ।

4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।

5- प्रमुख, गौड़ रामनगर सरस्वती बालिका विद्या भवन बल्लभपुर आगरा ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक

आगरा
21/05/2002

आज्ञा से,
अखिलेश चन्द्र गुप्त
अनु सचिव ।